फाइल नं0-71-3002(001)/10/2021-03

113/2025/I/1120913/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 17 अक्टूबर, 2025**

विषय-: वित्तीय वर्ष 2025-26 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में मेडिकल आफिसर, मैट्रन, नर्सिंग आफिसर हेतु 32 नग फ्लैट के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या-हरोस/2025-26/3551, दिनांक 19.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में मेडिकल आफिसर, मैट्रन, नर्सिंग आफिसर हेतु 32 नग फ्लैट के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1955.58 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-108/2022/I/200640/2022-71-3002(001)/10/2021-03, दिनॉक 10.08.2022 द्वारा अवमुक्त की गई है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-20/2024/I/495397/2024-71-3002(001)/10/2021-03, दिनॉक 14.02.2024 द्वारा रू0 500.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-99/2024/I/727909/2024-71-3002(001)/10/2021-03, दिनॉक 29.08.2024 द्वारा रू0 456.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 1156.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में मेडिकल आफिसर, मैट्रन, नर्सिंग आफिसर हेतु 32 नग फ्लैट के निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रू0 607.03 लाख **(रू0 छः करोड़ सात लाख तीन हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	अनुदान संख्या-31	4210-03-105-44-24	3000.00	107.03
2	अनुदान संख्या-83	4210-03-789-25-24	500.00	500.00
			कुल योग-	607.03

शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी निदेशक/कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. निदेशक/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-108/2022/I/200640/2022-71-3002(001)/10/2021-03, दिनॉक 10.08.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रू0 1,07,03,000 (रूपये एक करोड़ सात लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीट्यूट मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 5,00,00,000 (रूपये पॉच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892500 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीट्यूट मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।